

स्वीकृति हेतु मुख्य वित्तयी निबंधन एवं शर्तें

(अन्य सामान्य / विशेष शर्तें एवं निबंधन मूल्यांकन आधार पर अनुबंधित की जाएगी)

S.No।	स्वीकृति हेतु मुख्य वित्तयी निबंधन एवं शर्तें	
1	प्रतिभूति	<p>निम्नलिखित प्रतिभूति ढांचा पीएफसी द्वारा निर्धारित की गई है:</p> <p>में। राज्य / केंद्र सरकार गारंटी / बैंक गारंटी / शुल्क परिसंपत्ताओं;</p> <p>ii। एस्कौ अकाउंट / साख0-पत्र ;</p> <p>नोट: - विशेष मामलों में ऋणकर्ता की क्रेडिट योग्यता के आधार पर प्रतिभूति ढांचा को संशोधित किया जा सकता है।</p> <p>पीएफसी निजी क्षेत्र की इकाइयों में से एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिभूतियों / प्रसंविदाओं पर जोर दे सकता है:</p> <p>में। कॉर्पोरेट गारंटी;</p> <p>iii। प्रमोटर्स गारंटी ;</p> <p>iiii। प्रमोटर्स शेयर्स की गिरवी ;</p> <p>iv। समूह / अन्य की संपत्ति पर शुल्क कंपनियों;</p> <p>वी। निगम के पक्ष में सभी परियोजना सविदाओं, दस्तावेजों, बीमा नीतियों का असाइनमेंट;</p> <p>vi। विश्वास और प्रतिधारण तंत्र की स्थापना, ताकि सभी परियोजनाओं की आय एक तरह से निर्णय लिया में उपयोग किया जाता है पीएफसी;</p> <p>vii। राजस्व पर प्रभाव</p> <p>viii। किसी अन्य गारंटी के लिए स्वीकार्य है निगम।</p> <p>नोट: - परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में विभिन्न जोखिमों को उठाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा ।</p>
2 (क)	ब्याज	जब तक सावधि ऋण को पूरी तरह चुका नहीं दिया जाता तब तक कंपनी पीएफसी को बकाया सावधि ऋण के मूलधन पर ब्याज को समय समय पर प्रत्येक संवितरण पर प्रचलित दर पर भुगतान करेगा ।
2 (ख)	भुगतान में देरी के मामले में अतिरिक्त ब्याज (परिनिर्धारित नुकसानी)	<p>यदि ऋणकर्ता निगम को ब्याज या मूलधन नियत तारीख को भुगतान किया जा रहा तो उस स्थिति में, ऋणकर्ता 2.0% की ब्याज की निगम अतिरिक्त दर से भुगतान करेगा* एवं उपर्युक्त ब्याज दर जिस पर ऋण संवितरित/रेसेट किया जा रहा है एवं यह तिमाही आधार पर संयोजित हो जाएगी ।</p> <p>* (वर्तमान में, कांशोरियम ऋण देने के मामले में, दर को मामला दर मामला तय किया जाता है)।</p>
2 (ग)	कर वसूली एवं शुल्क	मुद्रा ऋण के दौरान ऋणकर्ता भारत सरकार द्वारा लगाए गए सभी आयात कर, शुल्क एवं कर या समय-समय लगाए जाने वाले अन्य प्राभरों को वहन करेगा ।

2 (घ)	प्रतिभूति को उत्पन्न न करने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज	<p>उन मामलों में जहां ऋणकर्ता निर्धारित तारीख तक स्वीकृति की सभी प्रतिभूतियों को उत्पन्न करने में विफल रहता है तो निगम को गिरवी उत्पन्न करने हेतु निर्धारित अनुमत अवधि (स्वीकृति बकाया ऋण राशि पर वर्तमान ब्याज (वर्तमान में 1% प्रति वर्ष) की समाप्ति तारीख से से पहले अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा। हालांकि, पर्याप्त प्रतिभूति हो जाने के मामले में अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा ।</p> <p>पर्याप्त की परिभाषा निम्न प्रकार से है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- मुख्य संयंत्र भूमि सहित आवश्यक रूप से भूमि की कम से कम 80 प्रतिशत गिरवी एवं 2- स्वीकृति की शर्तों के अनुसार अन्य सभी प्रतिभूतियों को उत्पन्न करना
		<p>यदि ऋण के प्रति संवितरण ऋण राशि के 75 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है एवं स्वीकृति की शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण प्रतिभूति उत्पन्न नहीं होती है तो ऋण के 75 प्रतिशत की सीमा को पर करने के विरुद्ध के तो ऋण के भुगतान के लिए 75% से अधिक ऋण की राशि बढ़ जाती है और स्वीकृति की शर्तों के अनुसार पूरी सुरक्षा नहीं बनाई गई है, तो अतिरिक्त ब्याज बकाया राशि पर लगाया जाएगा, जिस तारीख से ऋण के भुगतान का 75% सीमित करते हैं। "</p>
3	ब्याज रीसेट	<p>निगम के पास प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति/ प्रथम संवितरण की तारीख से शुरू प्रत्येक तीन वर्ष (यथा लागू) पर अपने निर्णय से ब्याज दर रीसेट करने का अधिकार प्राप्त है। यदि निगम द्वारा ब्याज रीसेट किया जाता है, तो वह दस/तीन वर्ष अवधि (यथा लागू) की समाप्ति के तुरंत बाद मानक देय तारीख से लागू होगा। करार ज्ञापन (एमओए) के लागू होने के समय पर रीसेट अवधि के संबंध में ऋणकर्ता विकल्प देंगे। रीसेट के प्रयोजन हेतु, रीसेट होने के लिए प्रस्तावित संवितरणों की ब्याज दरें ऋणों की समान श्रेणी के लिए रीसेट अवधि की समाप्ति पर वर्तमान ब्याज दरें होंगी।</p>
4	आहरण की अंतिम तारीख	<p>जब तक पीएफसी अन्यथा सहमत न हो, समझौते पर हस्ताक्षर करते समय लिए गए निर्णय के अनुसार कंपनी का सावधि ऋण से आहरण करने का अधिकार आहरण की अंतिम तारीख को समाप्त हो जाएगा ।</p>
5	पुनर्भुगतान	<p>निगम की नीति के अनुसार पुनर्भुगतान अवधि को समय-समय पर नियमित किया जाता है। ऋणकर्ता की ऋण योग्यता को एवं पे-बैंक अवधि को देखते हुए चुकौती अवधि को निर्धारित एवं संकेतित किया जाएगा । परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों की अधिकतम सीमा नीचे दी गई है :-</p> <p>परियोजना ऋण की पुनर्भुगतान अवधि मूल्यांकन के आधार पर उपर्युक्त सीमाओं से अधिक और परियोजना के आर्थिक जीवन के 80% से अधिक नहीं होने पर परियोजना ऋण के पुनर्भुगतान अवधि के अधीन प्रत्येक मामले की मेरिट पर विस्तारित किया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित अवधि उच्चतम सीमाएं हैं और मूल्यांकन के आधार पर पीएफसी परियोजना की उपयोगी जीवन एवं परियोजना मापदण्डों पर निर्भर रहते हुए निम्न अवधि प्रदान कर सकता है ।</p>
6	ऋण का पूर्व भुगतान	<p>ऋणकर्ता ऋण के बकाए मूलधन राशि को निगम से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात पूर्व-भुगतान कर सकता है । अनुमोदन प्रदान करना या न करना निगम के विवेक पर निर्भर करता है । पूर्व-भुगतान के अनुमोदन को ऐसी शर्तों पर दिया जाएगा जो पूर्व-भुगतान सहित निगम को उचित लगे ।</p>